इकाई 27 अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएँ

संरचना

27.0 उद्देश्य

27.1 प्रस्तावना

27.2 कृषि व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के क्षेत्र

27.2.1 बाजार सुलभता

27.2.2 घरेलू उत्पादन हेतु सहायता

27.2.3 निर्यात साहाय्य

27.3 स्वास्थ्य/स्वच्छता के मुद्दे और तकनीकी मानक

27.3.1 सफाई और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय

27.3.2 तकनीकी व्यापारिक बाधाएँ (TBT) करार

27.4 दोहा विकास एजेण्डा (DDA)

27.5 अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के प्रति निहितार्थ

27.5.1 व्यापार प्रतिस्पर्धता

27.5.2 खाद्य और आजीविका सुरक्षाएं

27.5.3 सीमांत और छोटे किसान

27.6 WTO वचनबद्धताओं के प्रति दृष्टिकोण

27.6.1 भावी मार्ग

27.7 सारांश

27.8 शब्दावली

27.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

27.10 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

27.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाम कृषि के बहुप्रकार्यात्मक स्वरूप की असाधारण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे;
- ''कृषि में व्यापार'' के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे;
- SPS और TBT अपेक्षिताओं के अनुसार स्वास्थ्य/स्वच्छता और तकनीकी मानकों के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों की चर्चा कर सकेंगे;
- उन सिद्धांतों का उल्लेख कर सकेंगे, जिन्हें TBT करार के अधीन पूरा किए जाने की आशा की जाती है;

- दोहा विकास एजेण्डा की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के निहितार्थों की व्याख्या कर सकेंगे; और
- भारत द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दृष्टिकोण निर्दिष्ट कर सकेंगे ताकि ''निर्बाध और निष्पक्ष'' अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की स्थापना द्वारा उत्पन्न अवसरों से लाभ प्राप्त हो सके।

27.1 प्रस्तावना

राजनीतिक दृष्टि से कृषि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस सेक्टर का उदारीकरण कठिन समस्या है। कृषि के बहु-प्रकार्यात्मक स्वरूप के अलावा विकसित और विकासशील दोनों देशों का अपनी-अपनी कृषि के एक या अन्य पहलुओं के संरक्षण के लिए दांव लगा है। भारत, जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि न केवल आर्थिक कार्य है, बल्कि, जीवन-शैली भी है और ग्रामीण श्रमिक बल के अधिकांश की आजीविका का साधन है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा इन देशों के लिए मुख्य चिंता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की अस्थिरता इसमें लगे हुए लोगों की बहुत बड़ी संख्या की आजीविका की प्रस्थिति को संकट में डाल सकती है। दूसरी ओर, विकसित देशों में (जैसे EU और US) किसानों को दिए गए भारी साहाय्य के कारण कृषि व्यापार उदारीकरण में कठिनाई उत्पन्न होती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कृषि व्यापारिक कंपनियों को अपने संसाधित उत्पादों के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने में सहायक होता है और इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने प्रतिपक्षियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। यही कारण है, WTO के क्रियान्वयन के 15 से भी अधिक वर्षों के बाद भी WTO विनियमों के पूरे प्रावधानों के क्रियान्वयन पर प्रगति धीमी रही है, जबकि सभी स्वीकार करते हैं कि कृषि में निर्बाध व्यापार सही अर्थों में सभी देशों के लिए लाभकारी होगा।

1986-94 के दौरान उरुग्वे दौर (UR) संधिवार्त्ताओं के समापन के बाद पहली बार कृषि को WTO की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। UR निम्नलिखित द्वारा कृषि व्यापार में सभी प्रकार की व्यापारिक विकृतियों के उन्मूलन की संकल्पना की गई थी : (i) निर्यात और उत्पादन साहाय्य घटाना; (ii) आयात अवरोधों की समाप्ति; और (iii) सभी शुल्क इतर अवरोधों का उन्मूलन। यहाँ WTO का उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि में ''निर्बाध, निष्पक्ष और बाजारोन्मुखी'' व्यापार करने के लिए वचनबद्ध करना है। ''कृषि पर अनुबंध'' (AoA) इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर WTO द्वारा तैयार किया गया है। इस पृष्ठभूमि से आप इस इकाई में पहले कृषि व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुख्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। विकासशील देशों के कृषि सेक्टर के लिए इन वचनबद्धताओं के बड़े महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, आयात और उत्पादन साहाय्य में कटौती के प्रभावकारी अनुपालन के अभाव में व्यापार पर परिमाणात्मक प्रतिबंध (QR) की समाप्ति घरेलू कीमतों को बाधित करते हुए अधिक सस्ता कृषि आयात आकर्षित करेगा और इससे गरीब किसानों का हित प्रभावित होगा। इसलिए आप इस इकाई में विशेष रूप से, भारतीय कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के निहितार्थों का अध्ययन करेंगे। इन निहितार्थों और कृषि में व्यापार के करार करने वाले में देशों के आगे खड़ी चुनौतियों की पूर्वापेक्षा में AoA का अनुच्छेद 20 अंतर्राष्ट्रीय

वचनबद्धताओं पर बातचीत का प्रावधान करता है। दोहा दौर-2001 की चर्चाओं में ही इन संभावित वार्त्ताओं और सौदेबाजियों का आधार रखा गया था। इसे भावी चर्चाओं के लिए 'एजेंडा' के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें ''कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में बाजारों के विकास और उन्हें और खुला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके आलोक में, आप इस इकाई में यथा प्रयोज्य दोहा विकास एजेण्डा (DDA) की प्रगति और कार्यविधियों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में, इन परिवर्धनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने की निर्दिष्ट अत्यावश्यकता के संदर्भ में आप WTO चर्चाओं में अपनाई जाने वाली अपेक्षित रणनीति और AoA व्यवस्था के बाद भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा सुधारने और एक लाभप्रद स्थिति पाने के लिए किए जाने वाले उपायों का अध्ययन करेंगे।

27.2 कृषि व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के क्षेत्र

कृषि में विश्व व्यापार एक ओर भारी निर्यात और औद्योगिक देशों द्वारा अपने किसानों को दी गई घरेलू साहाय्यों के कारण और दूसरी ओर विकासशील देशों के कृषि उत्पादों को अल्प बाजार सुलभता देने के कारण विकृत हुआ है। बाजार सुविधा प्रदान करने के कारण AoA निम्नलिखित के माध्यम से कृषि व्यापार के प्रगामी उदारीकरण के लिए एजेण्डा सुव्यवस्थित करता है : (i) उन्नत बाजार सुलभता; (ii) उत्पादन स्तरों या कीमतों से घरेलू सहायता का अयुग्मन; और (iii) निर्यात साहाय्यों का उन्मूलन। इनके माध्यम से करार ऐसी विकृत व्यापारिक व्यवस्था से विश्व कृषि व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जिसमें अधिक दक्ष उत्पादक लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े हो सकें। AoA में इस प्रकार तीन क्षेत्र हैं जिन पर यह फोकस करता है, अर्थात् बाजार सुलभता, घरेलू सहायता और निर्यात साहाय्य। अब हम इनमें से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे।

27.2.1 बाजार सुलभता

बाजार सुलभता पर करार के दो आयाम हैं : (i) शुल्क की कटौती; और (ii) शुल्क दर कोटा (TRQ) के माध्यम से न्यूनतम बाजार सुलभता। शुल्क की कटौती संबंधी उपाय के लिए आवश्यक है कि सभी आयातों {जैसे परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध (QRS), परिवर्ती आयात उद्ग्रहण, न्यूनतम आयात कीमतें और विवेकाधीन आयात लाइसेंस प्रक्रिया आदि} को एक ही ''बाध्य'' शुल्क दर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा बाध्य शुल्क संबंधित देश की आधार अवधि (1986-88 लिया गया) में कृषि माल के लिए प्रदान किया गया अंकित संरक्षण की समतुल्यता रखते हुए निर्धारित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया से परिणामी शुल्क कृषि उत्पादों पर अन्य शुल्कों के साथ (जैसा भी मामला हो), विकसित देशों के मामले में वर्ष 2000 तक 36 प्रतिशत के सामान्य औसत (या प्रति शुल्क लाइन 15 प्रतिशत का न्यूनतम) और विकासशील देशों के मामले में वर्ष 2004 में 24 प्रतिशत (10 प्रतिशत प्रति शुल्क लाइन की न्यूनतम कटौती से) कटौती की जानी थी। अल्पतम विकसित देशों को ऐसी कटौती वचनबद्धता से छूट दी गई है परंतु उनके लिए आधार स्तर से ऊपर संरक्षण का स्तर बढ़ाए बिना अपनी आधार अवधि के लिए शुल्क बाध्य करना आवश्यक है।

न्यूनतम बाजार सुलभता प्रदान करने पर करार ''शुल्क दर कोटा'' (TRF) द्वारा

अनुबद्ध किया जाता है। दो प्रभावी शुल्क दरें होंगी : कोटा की निर्धारित मात्रा से कम आयातों के लिए लागू निम्नतर शुल्क दर और कोटा की निर्धारित मात्रा से अधिक आयात पर लागू उच्चतर शुल्क। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य देश को घरेलू उपभोग के भाग के रूप में निर्धारित कृषि उत्पादों का न्यूनतम स्तर आयात करना आवश्यक है। देशों को प्रत्येक अलग-अलग उत्पाद के लिए सुलभता का अपना आधार वर्ष बनाए रखना भी आवश्यक है और जहां आधार वर्ष में आयात का आधार स्तर नगण्य है, न्यूनतम सुलभता आधार वर्ष के दौरान घरेलू उपभोग का 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यह न्यूनतम दर विकसित देशों के मामले में वर्ष 2000 तक और विकासशील देशों के मामले में, वर्ष 2004 तक 5 प्रतिशत बढ़ाई जानी थी। जब पोत लदान कतिपय संदर्भ स्तरों से कम कीमत पर किए गए हों या जब आयात में आकस्मिक वृद्धि हुई हो तब अतिरिक्त शुल्क के प्रयोग की अनुमति के लिए ''विशेष संरक्षण प्रावधान'' (SSP) भी है। जब प्रश्नास्पद पण्यवस्तु ''विकासशील देश का ''परम्परागत प्रधान माल'' हो, वहाँ बाजार सुलभता प्रावधान लागू नहीं होते। भारत ने अपनी शुल्क दरें मुख्य कृषि उत्पादों पर 100 प्रतिशत पर, संसाधित खाद्य पदार्थों पर 150 प्रतिशत पर और खाद्य तेलों पर 350 प्रतिशत पर सीमित की हैं। परंतु विभिन्न कृषि उत्पादों पर वास्तविक शुल्क दरें बाध्य दरों की अपेक्षा काफी नीचे हैं।

अतः संभवतः यह उचित है कि विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में बाजारों की सुलभता बेहतर प्राप्त हो सकती है यदि विकसित देशों के मामले में उच्चतर कटौती अपेक्षिताएं पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से क्रियान्वित की जाती हैं। परंतु करार में अस्पष्टता के कारण विकसित देश अभी भी संरक्षण का उच्चतर स्तर बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, शुल्कों में 36 प्रतिशत की अभारित औसत कटौती से पण्यवस्तुओं के लिए विभेदकारी व्यवहार हो सकता है।

इस प्रकार देश कम महत्त्वपूर्ण उत्पादों पर थोड़ी शुल्क कटौती कर या अधिक महत्त्वपूर्ण उत्पादों पर शुल्क में कोई कटौती नहीं करके 36 प्रतिशत की कुल कटौती कर सकता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण का आशय होगा कि वास्तविक शुल्क उतना ही अधिक संरक्षण प्रदान कर सकता है जितना NTB के रूप में मिलता है। इस समय विकसित देशों में कृषि शुल्क औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसके अलावा, न्यूनतम सुलभता शुल्क कोटा वचनबद्धता घरेलू आयातकों के लिए पर्याप्त लचीलापन छोड़ते हुए कुल के अपेक्षाकृत उच्चतर स्तरों पर रखा गया है। ऐसे व्यवहार से वचनबद्धताओं की भावना विरुद्ध जाकर बाजार को सीमित कर दिया जाता है।

बोध प्रश्न 1

नीचे दिए स्थान में अपने प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) कारण बताइए, WTO की वचनबद्धताओं के क्रियान्वयन ने अभी तक कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक प्रगति नहीं की है।

.....

.....

.....

.....

2) किन तीन क्षेत्रों/आयामों में कृषि उत्पादों में व्यापार विकृति उन्मूलन के लिए संकल्पित वार्ताओं का दौर उरुग्वे दौर कहलाता है?

.....

.....

.....

.....

3) बताइए, किस तरीके में WTO-AoA वचनबद्धताओं ने भारत जैसे विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र को और उलझाया है?

.....

.....

.....

.....

4) दोहा विकास एजेण्डा (DDA) को विकसित करने की क्या पृष्ठभूमि थी? मूलतः DDA क्या प्रदान करता है?

.....

.....

.....

.....

5) किन तीन बुनियादी पहलुओं/क्षेत्रों में कृषि व्यापार के प्रगामी उदारीकरण के लिए एजेण्डा स्थापित करना AoA का उद्देश्य है? यह इस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करना चाहता है?

.....

.....

.....

.....

6) ''आबद्ध शुल्क दरों'' से क्या अभिप्राय है? यह कैसे निर्धारित की जाती है?

.....

.....

.....

.....

7) किस विकसित और विकासशील देशों के लिए ''अंतिम शुल्कों'' को अपने-अपने किस शुल्क स्तर पर और किस अवधि के स्तर से घटाना था?

.....

.....

.....

.....

8) किस क्रियाविधि से AoA द्वारा प्रस्तावित ''न्यूनतम बाजार सुलभता'' की प्राप्ति सुनिश्चित करने का उद्देश्य है? किन परिस्थितियों के अधीन बाजार सुलभता प्रावधान किसी देश पर लागू नहीं होता है?

.....

.....

.....

.....

9) SSP का क्या अर्थ है? उन्हें कब लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

.....

.....

.....

.....

10) क्या आप सोचते हैं कि ''कटौती आवश्यकता'' के निर्धारित स्तरों की स्थापना से विकासशील देश लाभान्वित हो सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

11) प्रस्तावित शुल्क संरचना में क्या खास अस्पष्टता विकसित देशों के पक्ष में (और विकासशील देशों के हित के विरुद्ध) काम करने के लिए अभी भी प्रयुक्त हो सकती है?

.....

.....

.....

.....

27.2.2 घरेलू उत्पादन हेतु सहायता

घरेलू सहायता में मूल रूप से देश द्वारा अपनी कृषि के लिए दी गई साहाय्य शामिल है। ये साहाय्य उत्पाद विशिष्ट या उत्पाद इतर विशिष्ट हो सकती हैं। AoA इस सहायता को इस प्रकार वर्गीकृत करता है : (i) व्यापार विकृति; और (ii) व्यापार इतर सहायता विकृति। केवल व्यापार विकृति करने वाली साहाय्य AoA विनियमों के अनुसार कटौती वचनबद्धता करती है। मोटे तौर पर घरेलू सहायता उपाय चार पृथक श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं : (i) ग्रीन बॉक्स उपाय; (ii) ब्लू बॉक्स उपाय (iii) विशेष और विभेदीय (S&D) उपचार; और (iv) अम्बर बॉक्स सहायता/उपाय।

ग्रीन बॉक्स उपाय : ग्रीन बॉक्स उपायों में कृषि व्यापार पर ''शून्य'' या न्यूनतम विकृत प्रभावकारी कृषि साहाय्य सम्मिलित हैं। AoA के कई सामान्य और उपाय विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है जिन्हें पूरा करने वाले उपायों को ग्रीन बॉक्स में रखा जा सकता है। ऐसे उपाय कटौती वचनबद्धता से मुक्त हैं और किसी भी वित्तीय सीमा के बिना ऐसे साहाय्य बढ़ाए जा सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक निधि से वित्त प्रदत्त सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें उपभोक्ता से अंतरण शामिल नहीं होना चाहिए और उत्पादकों को कीमत सहायता प्रदान करने का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यद्यपि ग्रीन बॉक्स उपायों का प्रावधान विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू होता है, विकासशील देशों के मामले में शहरी और ग्रामीण गरीबों को साहाय्यी खाद्य प्रदान करने के लिए सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में विशेष व्यवहार किया जाता है।

ब्लू बॉक्स सहायता : ''ब्लू बॉक्स'' में कृषि उत्पादन को सीमित करने के लिए दी गई सहायता है जो उत्पादन वृद्धि को रोकने के लिए दी जाती है। यह विकसित देशों की इस दृष्टि से प्रासंगिक है। विकासशील देशों में यह विरले ही दिखाई देती है। उनमें क्षेत्रफल या पशुओं की संख्या से भुगतान सीधे जुड़ा होता है। इस प्रकार की सहायता उत्पादन कोटा लगाकर उत्पादन सीमित करती है, किसानों की अपनी भूमि का भाग अप्रयुक्त रखने के लिए कहा जाता है। ब्लू बॉक्स कृषि की सहायता करने और सुधार करने के लिए तथा कतिपय व्यापार इतर उद्देश्य जैसे पर्यावरण संरक्षण प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

विशेष और विभेदक व्यवहार : विशेष और विभेदक व्यवहार केवल विकासशील देशों पर लागू होते हैं और कृषि के लिए सामान्य निवेश सहायता के रूप में होता है, जैसे अल्प आय संसाधन हीन किसानों के लिए आदान साहाय्य। उनमें उत्पादकों को साहाय्य सहायता, नियोजित कीमतों पर खरीदे गए खाद्य सुरक्षा भंडार से खरीदें शामिल हैं, हाँ ये ''सहायता के कुल उपायों'' की गणना में शामिल होनी चाहिए (नीचे स्पष्ट किया गया है)। इसके अलावा, विकासशील देशों को शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए साहाय्य सहित खाद्य वितरण की अनुमति है। विकासशील देशों के लिए वे निवेश साहाय्य भी

शामिल नहीं हैं जो साधारणतया निम्न आय और संसाधन गरीब किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

अम्बर बॉक्स सहायता/उपाय : ये घरेलू सहायता उपाय हैं, जो उत्पादन स्तर से बंधे हैं, जैसे कि न्यूनतम सहायता मूल्य। इन्हें उत्पादन और व्यापार विकृत करने वाला समझा जाता है तथा इसलिए ये कटौती वचनबद्धता के अधीन होते हैं।

सहायता के कुल उपाय (AMS) : उपर्युक्त उपाय के अधीन सहायता दो शीर्षों के अधीन परिकलित की जाती है : (i) उत्पाद विशिष्ट ''सहायता के कुल उपाय'' (AMS), और (ii) साधारणतया (उत्पाद इतर विशिष्ट साहाय्य नामक) कृषि उत्पादकों को दी गई सहायता) उत्पाद विशिष्ट AMS की गणना अंतर्राष्ट्रीय कीमत से घरेलू कीमत घटाकर और उत्पादन की मात्रा से परिणामी अंक को गुणा करके की जाती है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की घरेलू कीमत से कम है तो उत्पाद-विशिष्ट AMS धनात्मक होगा। उदाहरण के रूप में, माना कि पण्यवस्तु की घरेलू कीमत रु. 1000 है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत रु. 800 है। इसलिए उत्पाद विशिष्ट AMS (उत्पादित गुणक मात्रा छोड़कर) 1000-800 है जो धनात्मक है। दूसरी ओर, यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत रु. 1200 है, उत्पाद विशिष्ट AMS का गुणक घटक (1000-1200) है जो ऋणात्मक है।

भारत कुछ कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा कोई उत्पाद विशिष्ट समर्थन नहीं देता है। संदर्भाधीन अवधि (1986-88) के दौरान भारत का 22 उत्पादों के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम था। इसका कुल AMS मान (–) रु. 24,442.00 करोड़ था। इसके अतिरिक्त आधार संदर्भ के दौरान कुल उत्पाद इतर विशिष्ट AMS केवल (+) रु. 4581 करोड़ था। इस प्रकार उत्पाद विशिष्ट और उत्पाद इतर विशिष्ट AMS दोनों को ध्यान में रखकर कुल AMS (–) 19,861 करोड़ रुपये था जो कुल कृषि उत्पाद के मूल्य का लगभग (–) 18 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 की तद्नुरूपी गणना दिखाती है कि कुल कृषि उत्पादन के मूल्य का उत्पाद विशिष्ट AMS (–) 38 प्रतिशत था और उत्पाद इतर विशिष्ट AMS 2.5 प्रतिशत था। हम इन परिकलनों में से निम्न आय और संसाधन गरीब किसानों को AoA के अनुच्छेद 16 के अधीन प्रदत्त घरेलू सहायता घटा सकते है। इसके बाद हमारा कुल AMS अनुभक्त 10 प्रतिशत के स्तर से नीचे रह गया। साधारणतः WTO के प्रारंभ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि पण्यवस्तुओं की कीमतें भारत में घरेलू समर्थन कीमतों से कम थीं, इससे AMS धनात्मक बना।

गैर उत्पाद विशिष्ट साहाय्य (De Minimis) : इनका संबंध समग्र रूप में कृषि सेक्टर के लिए समर्थन के कुल स्तर जैसे उर्वरक, विद्युत, सिंचाई, बीज, ऋण आदि के लिए साहाय्य से है। AoA के अधीन विकसित देशों को कृषि उत्पाद के अंक कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर फार्म साहाय्य देने की अनुमति है जबकि विकासशील देशों के लिए तद्नुरूपी अंक 10 प्रतिशत है। व्यापार इतर विकृति समर्थन के निर्धारण के लिए दो मानदंड प्रयुक्त किए जाते हैं : (i) इसका भुगतान सरकार के बजट से होना चाहिए, और (ii) इसका प्रभाव उत्पादक के लिए मूल्य समर्थन देने जैसा नहीं होना चाहिए। परिणामस्वरूप इन उपायों में

ये सरकारी सेवाएं शामिल हैं : (i) कृषि अनुसंधान, (ii) रोग नियंत्रण, (iii) आधारभूत संरचना, (iv) विस्तार और खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सुरक्षित (बफर) स्टॉक, (v) घरेलू खाद्य सहायता, (vi) उत्पादकों को सीधा भुगतान, (vii) वियोजित आय समर्थन, (viii) आय बीमा और आय सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में सरकारी सहायता, (ix) पर्यावरण और क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों के अधीन भुगतान, (x) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायता, (xi) विपणन और संवर्धन सेवाएं, आदि। यदि दी गई सहायता का कुल मूल्य संबद्ध कुल कृषि उत्पादन के मूल्य का 5/10 प्रतिशत उच्चतम सीमा से अधिक नहीं है, AoA के de minimis के अधीन उस वर्ष में ऐसी घरेलू सहायता घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ब्लू बॉक्स साहाय्यों पर विवाद : घरेलू सहायता का अयुग्मन WTO के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में सबसे अधिक विवादास्पद मुद्दों में से एक होकर उभरा है। विशेषकर, कटौती वचनबद्धताओं से उत्पादन सीमित करने के लिए ''ब्लू बॉक्स'' उत्पादों का बहिष्करण भारत जैसे विकासशील देशों के विरुद्ध अनुचित भेदभाव के रूप में माना गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ब्लू बॉक्स सहायता के अधीन साहाय्य व्यापार को विकृत करता है और इसलिए व्यापार अनुशासन उपायों के अधीन होना चाहिए। हाल के वर्षों में AoA के क्रियान्वयन के कारण, यद्यपि अम्बर बॉक्स सहायता बहुत से विकसित देशों में घटी है परंतु ब्लू और ग्रीन बॉक्स नीतियों के अधीन सहायता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। दूसरे शब्दों में, विकसित देश निषिद्ध अम्बर बॉक्स से ग्रीन और ब्लू बॉक्सों की अनुमत्य श्रेणियों में घरेलू सहायता अंतरित कर रहे हैं।

27.2.3 निर्यात साहाय्य

निर्यात साहाय्य पर वचनबद्धता दो विषयों पर है : (i) साहाय्य द्वारा सम्मिलित निर्यात की कुल मात्रा में कटौती, और (ii) निर्यात साहाय्य पर कुल बजटीय परिव्यय में कटौती। विकसित देशों को 2000 तक साहाय्यी निर्यात की मात्रा 21 प्रतिशत तक और निर्यात साहाय्यों पर व्यय में 36 प्रतिशत तक कटौती करनी है। विकसित देशों के लिए 2004 तक प्राप्त किए जाने वाले तद्नुरूपी कटौती स्तर क्रमशः 14 और 24 प्रतिशत है। विकसित और विकासशील दोनों देशों के कृषि निर्यात परिवहन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर दी गई साहाय्यों को कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है।

अपेक्षाकृत विकसित देशों के निर्यात साहाय्य विकासशील देशों को निर्यात संभावनाओं गंभीर रूप से सीमित करता है क्योंकि अधिकांश विकासशील देश बजट संबंधी कठिनाइयों के कारण कृषि उत्पादों को निर्यात साहाय्य प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते। इसके आलोक में, कटौती आवश्यकताएं पूरी करने के बाद भी विकसित देश अपने कृषि निर्यात को पर्याप्त साहाय्य देकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत AoA में कटौती वचनबद्धता के लिए सूचीबद्ध में से किसी भी मद को भी निर्यात साहाय्य नहीं देता है। 2004 से पहले निर्यातकों को उपलब्ध केवल साहाय्य (अनुभाग 80 HHC के अधीन) आय कर में निर्यात बिक्री से लाभ पर छूट, और भाड़े की लागत, विपणन और पशुधन उत्पादों के निर्यात के पोतवहन पर अंतर्राष्ट्रीय/ आंतरिक परिवहन की लागतों पर साहाय्य के रूप में थे।

बोध प्रश्न 2

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) किस विशेष प्रकार की ''घरेलू सहायता'' कटौती वचनबद्धता के अधीन है? क्यों?

.....

.....

.....

.....

2) उत्पाद विशिष्ट AMS क्या है? इसका अभिकलन कैसे किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

3) उत्पाद विशिष्ट AMS के लिए ऋणात्मक संकेत का क्या निहितार्थ है?

.....

.....

.....

.....

4) कुछ व्यापार इतर विकृतकारी साहाय्यों के उदाहरण दीजिए। इस संबंध में AoA ने क्या सीमा निर्धारित की है?

.....

.....

.....

.....

5) व्यापार इतर विकृतकारी सहायता के निर्धारण के लिए दो मानदंड क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

6) कटौती वचनबद्धता से ''ब्लू बॉक्स सहायता उपाय'' की छूट विवादास्पद क्यों है?

.....

.....

.....

.....

7) वे दो विषय क्या हैं जिन पर निर्यात साहाय्य पर वचनबद्धता को कम किया जाना अपेक्षित है? क्या आप सोचते हैं कि इस कटौती से विकासशील देशों को लाभ होगा।

.....

.....

.....

.....

27.3 स्वास्थ्य/स्वच्छता के मुद्दे और तकनीकी मानक

खाद्य उत्पादों का आयात जो घरेलू उपभोक्ताओं, पशुओं और पादपों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और अहानिकार है, आयात करने वाले देशों की मुख्य चिंता है। फलस्वरूप आयात करने वाले देशों की सरकारों को असुरक्षित और अस्वास्थकर आयातित खाद्य उत्पादों से अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य कानूनों और विनियमों को लागू करना पड़ता है। परंतु कुछ देश कभी-कभी अन्य देशों से खाद्य उत्पादों का आयात सीमित करने के लिए उन्हें अवरोध के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के दुरुपयोग से बचाव के लिए स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपायों और व्यापार में तकनीकी बाधा (TBT) करारों को WTO के बहुपक्षीय करारों में समाविष्ट किया गया था।

27.3.1 सफाई और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय

SPS की परिभाषा AoA निम्नलिखित पर अनुप्रयुक्त किसी भी उपाय के रूप में करता है : (क) जीवन या स्वास्थ्य, कीटों, रोगों, रोगवाहक या रोग के जीवों के प्रवेश या प्रसार से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सदस्य देश के राज्य क्षेत्र के अंदर पशु या पादप जीवन की रक्षा करना; (ख) खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों या पशु खाद्य पदार्थों में योजकों, संदूषण, आविष या रोग पैदा करने वाले जीवों से उत्पन्न जोखिमों से सदस्य देश के राज्य क्षेत्र के अंदर मानव या पशु जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा करना; (ग) पशुओं, पादपों या उसके उत्पादों में कीटों के प्रवेश, स्थापना या प्रसार द्वारा वाहित रोगों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सदस्य देश के राज्य क्षेत्र के अंदर मानव जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा करना; और (घ) परजीवियों के प्रवेश, स्थापना या प्रसार से सदस्य देशों के राज्य क्षेत्र के अंदर अन्य क्षति सीमित करना या रोकना।

करार के दो बुनियादी सिद्धांत हैं : (i) अविभेदीकरण का सिद्धांत और (ii) वैज्ञानिक औचित्य प्रतिपादन का सिद्धांत। खाद्य सुरक्षा के संबंध में सुमेलन की आवश्यकता के अनुसरण में, SPS करार ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा स्थापित कुछ मानकों, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों की पहचान की है तथा चुना है जो मानव, पशु और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपने विशिष्टीकरण और विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। इन मानकों को आधारिक कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके आधार पर सदस्य देशों के उपायों और विनियमों का मूल्यांकन किया जाता है। SPS पर करार सुनिश्चित करता है कि ये उपाय यादृच्छिक, विभेद मूलक और संरक्षणवादी नहीं होने चाहिए तथा वैज्ञानिक औचित्य प्रतिपादन पर आधारित होने चाहिए। परंतु व्यवहार में बहुत विकसित देश अपने मानक (जो WTO के अधीन अनुमत है) अंतर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचे स्तरों पर निर्धारित कर रहे हैं। इसके अलावा, मानक प्रायः विकासशील देशों की सहभागिता के बिना और उनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखे बिना अपनाए गए हैं।

सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित देशों में विद्यमान मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। विकासशील देशों द्वारा इन उपायों का अनुपालन कठिन सिद्ध हुआ है, इस प्रकार इन देशों से निर्यात सीमित किया जा रहा है। इस प्रकार ये उपाय व्यापार बाधा होते हैं: (i) आयात के मानकों की तुलना में घरेलू मानक अधिक नीचे होते हैं, (ii) मानक अनुरूपता देशभर में भिन्न-भिन्न है या (iii) जब एक देश दूसरे देशों के उपायों को मान्यता नहीं देता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा का राजनीति एजेण्डा में बहुत ऊँचा स्थान बना हुआ है। यह अंशतः इस तथ्य द्वारा भी स्पष्ट हो सकता है कि खाद्य सुरक्षा को श्रेष्ठ पदार्थ माना जाता है। इसकी मांग की आय नम्यता उच्च होती है, जैसे आय बढ़ती है, खाद्य उत्पादों की उच्चतर SPS उपायों मांग भी बढ़ती है। विश्वभर में उपभोक्ता संगठन और NGOs भी अस्वास्थ्यकर तथा असुरक्षित खाद्य उत्पादों से मनुष्य, पशु पादप जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा करने में अधिक आग्रही हैं। इन दोनों कारकों ने भारत जैसे विकासशील देशों से निर्यात की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ाने में योगदान किया है।

SPS उपायों के अनुपालन में विकासशील देशों के लिए दो प्रकार की लागतें हैं : (i) उत्पादन लागत और (ii) अनुरूपता लागत। उत्पादन लागत में SPS उपायों के अनुसार माल के उत्पादन में सम्मिलित नए निर्देशों और प्रौद्योगिकी लागत समाविष्ट है। अनुरूपता लागत में प्रमाणीकरण और नियंत्रण की लागतें शामिल हैं। इस प्रकार विकासशील देशों की अनुपालन की कुल लागत विकसित देशों की अपेक्षा अधिक ऊँची है। इसका कारण यह है कि उपयुक्त SPS नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की लागत बहुत छोटी निर्यात मात्रा को ही वहन करनी पड़ती है।

इसके अलावा, चूंकि SPS मानक विकसित देशों में विद्यमान मानकों के अधिक अनुरूप है, इसलिए किसी भी नई SPS आवश्यकताओं में विकासशील देशों में अपेक्षाकृत अधिक लागत अंतर्निहित होगी। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के उत्पादों को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है, फलस्वरूप इन देशों से निर्यात की मात्रा पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। उदाहरण के लिए, विकसित देशों,

विशेषकर EU द्वारा अपनाए गए SPS उपायों के उच्च मानकों के कारण उनके बाजारों में भारतीय गोश्त और डेयरी उत्पादों का प्रवेश वास्तविक रूप में असंभव हो गया है। इसके अलावा यदि SPS वचनबद्धताओं के उल्लंघन के आधार पर देश में एक देश का निर्यात निषिद्ध हो जाता है तो उस उत्पाद की कीमत घरेलू बाजार में भी गिर सकती है। इससे देश के उत्पादन सेक्टर में रोजगार और आय की क्षति की संभावना होती है।

विकासशील देशों द्वारा प्रारंभ में उपर्युक्त कठिनाइयों को अनुभव किए जाने के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे चलकर बेहतर SPS मानकों से स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। परंतु जिस तरीके में ये मानक लागू किए जा रहे हैं उससे विकासशील देशों के लिए तीन प्रकार की समस्याएं हुई हैं। **पहला** संस्थागत समस्याएं हैं, जैसे निरीक्षण और अनुरूपता (अनुपालन) (आंतरिक या प्रवेश स्थल) और विवादों को निपटाने का वैज्ञानिक आधार कौन प्रदान करेगा? इसके अलावा इन अपेक्षिताओं के सुमेलन के लिए निर्यातकों को तकनीकी सहायता का अभाव है। **दूसरा,** आवधिक रूप में SPS मानकों में परिवर्तन से प्राप्त किए जाने वाले स्तर बढ़ रहे हैं, अनुपालन की लागत निरंतर निषेधात्मक हो रही है। **तीसरा** इस तथ्य के बावजूद कि AoA विनिर्दिष्ट SPS उपायों की समानता की पारस्परिक मान्यता पर बहुपक्षीय करारों को प्रोत्साहित करता है, सदस्य देश द्विपक्षीय समानता करार करते हैं। यह पद्धति अन्य के बदले कुछ देशों से आयात करने का पक्ष लेती है जिसका परिणाम अन्य सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव होता है।

27.3.2 तकनीकी व्यापारिक बाधाएँ (TBT) करार

TBT पर करार में तकनीकी विनियम मानक और मूल्यांकन प्रक्रिया की समरूपता शामिल है। कपटपूर्ण पद्धति रोकने के अभिप्राय से तकनीकी विनियम सरकारों की अनिवार्य अपेक्षिताएं हैं ताकि मनुष्य और पशु स्वास्थ्य की तथा पर्यावरण की भी रक्षा की जा सके। इसलिए TBT करार का उद्देश्य पैकेजिंग, चिन्हांकन और लेबल लगाने की आवश्यकताओं सहित तकनीकी अपेक्षिताएं और मानक सुनिश्चित करना है।

यह आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकारों के उत्तरदायित्वों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार करता है कि उन द्वारा वैध उद्देश्य पूरे किए गए हैं और अपनाए गए व्यापार उपाय अविभेदात्मक तथा असंरक्षणवादी हैं। TBT पर करार में 15 अनुच्छेद और तीन अनुलग्नक हैं। परंतु संक्षेप में, TBT करार का उद्देश्य पांच सिद्धांत पूरा करना है।

TBT करार के सिद्धांत – यद्यपि TBT करार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और पर्यावरण की रक्षा करना है परंतु वास्तविकता में बहुत से उपाय देशी उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हैं। यह विशेष रूप से विकसित देशों के मामले में है जो इस धारणा पर बहुत बार विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार सुलभता में बाधा डालते हैं कि 'उनका' का मानक 'हमारे' के अनुरूप नहीं है। कृषि उत्पादों के मामले में जब कभी विकसित देशों में इन उत्पादों पर शुल्क कम किया जाता है तो ऐसे उपायों के वर्धमान रूप से महत्त्वपूर्ण होने की संभावना होती है (क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों के उत्पादों के लिए बाजार अंश प्रभावित होने

की संभावना होती है)। इसलिए TBT करार के प्रभावशील अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण अक्षरशः होना चाहिए। साथ ही, यह विकासशील देशों के लिए अपने मानक सुधारने भी समान रूप से आवश्यक है ताकि इन सिद्धांतों का पालन यथाविधि किया जा सके।

- **अविभेदीकरण** : तकनीकी विनियम और समरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करने, अंगीकरण करने और अनुप्रयोग करने के आधार पर।
- **सुमेलन** : अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना और प्रयोग करना इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 'अच्छे व्यवहार' की संहिता सुस्पष्ट रूप से विस्तृत होनी चाहिए।
- **न्यूनतम व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय** : व्यापार की अनावश्यक बाधाओं का परिहार करने के लिए।
- **समानता** : पारस्परिक स्वीकृति के आधार पर व्यापारी भागीदारों के बीच मूल्यांकन प्रक्रियाओं और तकनीकी अपेक्षिताओं पर करार।
- **पारदर्शिता** : सभी मानकों और विनियमों पर प्रकाशित और अधिसूचित विनियमों/दिशा निर्देशों। सदस्यों को नियमों, मानकों और अन्य संबद्ध मामलों के बारे में विचार विनिमय सुकर बनाने के लिए स्थापित समुचित पूछताछ बिंदुओं सहित नए विनियम पर सम्मति देने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

27.4 दोहा विकास एजेण्डा (DDA)

AoA का अनुच्छेद 20 अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं में बातचीत करने का प्रावधान करता है। दोहा विकास एजेण्डा (DDA) ने अनुच्छेद 20 में प्रदान किए गए समझौते की बातचीत के अधिदेश का आगे सविस्तार प्रतिपादन किया है। एजेण्डा विकास और कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में बाजार खोलने पर फोकस करता है। DDA की क्रियान्वयन प्रक्रिया दिसंबर, 2004 में समाप्त होनी थी। परंतु एजेण्डा के क्रियान्वयन में प्रगति ''देशों के भिन्न-भिन्न समूहों के'' हितों के टकराव के कारण संतोषजनक नहीं रही है। एजेण्डा में शामिल हैं : (i) औद्योगिक माल और सेवाओं में कटौती; (ii) कृषि उत्पादकों के लिए साहाय्य समाप्त करना; (iii) सीमा पार निवेश की बाधाएं कम करना; और (iv) डम्पिंग विरोधी कानून का प्रयोग सीमित करना। इस इकाई में हम केवल कृषि संबंधी मुद्दों पर ध्यान देंगे।

DDA में प्रधान कृषि संबंधी मुद्दे, इस प्रकार हैं : (i) धनी देशों द्वारा अपनी कृषि के लिए दी गई व्यापार को विकृत करने वाली घरेलू साहाय्य का उच्च स्तर कम करना; (ii) कृषि निर्यात साहाय्यों की मात्रा सुमेल करना; और (iii) विकासशील देशों के कृषि उत्पादों के निर्यात पर आयात शुल्क कम करना। DDA अपेक्षा करता है : (i) कुल AMS घटाना, (ii) कई देशों के लिए ''de minimis'' प्रारंभ कम करना, और (iii) ब्लू बॉक्स उपायों पर सीमा लागू करना। यह ग्रीन बॉक्स उपायों को नियंत्रित करने पर भी बल देता, जो विकसित देशों की कृषि को असीमित समर्थन देते हैं और अन्य संभवतः उत्पादन केंद्रित और मांग स्थिरीकरण उपायों को सीमित करते हैं, (जैसे संयुक्त यूरोपीय संघ और ब्राजील

में ''जैव ईंधन कार्यक्रम'')। इसका मुख्य आधार जैव ईंधन कार्यक्रम के संभावित योगदान के कारण है : (i) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य कीमतों पर प्रभाव, और (ii) उससे विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए उत्पन्न उलझन।

DDA की मुख्य उपलब्धियां – DDA व्यापार विकृत करने वाली कृषि साहाय्यों पर बड़ी कटौती करने के लिए EU, US और जापान को राजी करने में सफलता प्राप्त कर सका है। WTO समझौता बातचीत के पिछले दौरों से तुलना में DDA की यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। DDA की एक अन्य विशेषता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में आजीविका और संसाधनहीन किसानों के लिए ''de minimis'' कार्यक्रमों के संबंध में S&D व्यवहार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। इसके आलोक में भारत निम्नलिखित चार मुद्दों पर मोटे तौर पर ध्यान केंद्रित करते हुए DDA पर यथातथ्यात्मक रूप से बातचीत कर रहा है : (i) खाद्य सुरक्षा, (ii) बाजार सुलभता, (iii) निर्यात साहाय्यें में विकृतियों का उन्मूलन और (iv) घरेलू साहाय्यों में कटौती। भारत के विकासशील देशों के इस परिप्रेक्ष्य पर बल देता है कि विकासशील देशों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा के मुद्दे को DDA पर बातचीत में प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। इस दिशा में भारत ने खाद्य और आजीविका सुरक्षा के आधार पर संसाधनहीन गरीब, छोटे और सीमांत किसानों का संरक्षण आसान बनाने के लिए (AoA) में ''खाद्य सुरक्षा बॉक्स'' के प्रवर्तन का सुझाव दिया है।

DDA में निम्नतम स्तर के बिंदु : DDA की घोषणा के एक दशक बाद भी DDA का एजेण्डा अभी तक अधूरा है। कृषि व्यापार अभी भी विभिन्न संरक्षणों के अधीन है। राजनीतिक विचार इन समझौते की बातचीत के लिए अधिक खुला होने से प्रायः किसी भी राष्ट्र को रोक देते हैं। विकासशील देशों की चिंताएं अभी भी एजेण्डा पर बातचीत में पर्याप्त रूप से हल नहीं की गई है। परंतु यह आमतौर पर माना गया है कि यदि DDA का अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाता है तो यह भारत जैसे विकासशील देशों को प्रचुर लाभ होगा। WTO के लिए अभी तक औद्योगिक देशों द्वारा अपने किसानों को भुगतान की गई ऐसी विशाल साहाय्य घटाने पर सहमति बनाना संभव नहीं हुआ है जो विकासशील देशों में गरीब किसानों की आजीविका को अभी जोखिम में डाले हुए है। इनके आलोक में, 2011 में जेनेवा में आयोजित WTO की मंत्रीस्तरीय बैठक ने निर्णय किया कि DDA कहीं नहीं जा रहा है, और अपने वर्तमान रूप में यह शीघ्र ही किसी तर्कसंगत निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगा।

बोध प्रश्न 3

नीचे दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

1) आयात करने वाले देशों के उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए WTO करारों में किन दो विशिष्ट सुरक्षणों का समावेश किया गया है? वे दो सुरक्षण आधारभूत रूप में क्या सुरक्षा करते हैं?

.....

.....

.....

.....

2) SPS उपायों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? उसके दो बुनियादी सिद्धांत क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

3) तीन स्थितियां बताइए जब SPS उपाय व्यापार के लिए बाधा बन सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

4) उन दो कारकों की पहचान कीजिए जिन्होंने ''खाद्य सुरक्षा'' का मुद्दे को विकसित देशों के राजनीतिक एजेण्डा में उच्च स्थान पर रखा है?

.....

.....

.....

.....

5) विकासशील देशों के लिए SPS उपायों के अनुकूल होने में अंतर्निहित लागत के दो प्रकार क्या हैं? इन दोनों में मूलतः क्या समाविष्ट है?

.....

.....

.....

.....

6) निर्यात के लिए SPS उपायों का अपालन अर्थव्यवस्था के घरेलू सेक्टर में रोजगार और आय क्षति को कैसे प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

7) SPS उपायों के बावजूद व्यापारिक मामलों में भेदभाव जारी है?

.....

.....

.....

.....

8) TBT व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? सिद्धांत बताइए कि TBT करार के ठीक से कार्य करने के सिद्धांत क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

9) कृषि संबंधी तीन मुद्दे क्या हैं जो दोहा विकास एजेण्डा (DDA) में प्रबल रहे हैं?

.....

.....

.....

.....

10) जनेवा में 2011 में आयोजित WTO मंत्रीस्तरीय सम्मेलन किन कारणों से WTO प्रक्रिया की प्रगति पर निराशाजनक राय व्यक्त करने के लिए बाध्य हुआ?

.....

.....

.....

.....

27.5 अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के प्रति निहितार्थ

अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के भारतीय कृषि के लिए प्रमुख निहितार्थ हैं। परंतु चूंकि भारत कृषि उत्पादों का सकल निर्यातक है, इसलिए यह आशा की जाती है कि यदि AoA प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है और व्यापार विकृतियां

समाप्त की जाती हैं तो भारत और अन्य विकासशील देश तथा संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं कृषि व्यापार में लाभ प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे। इन वचनबद्धताओं का प्रभाव निम्न प्रकार तीन मुख्य पहलुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

27.5.1 व्यापार प्रतिस्पर्धता

व्यापार प्रतिस्पर्धा दो कारकों पर निर्भर करती है : (i) उत्पादकता और (ii) उत्पादन की लागत। WTO विनियमों के क्रियान्वयन के बाद सोचा गया था कि कृषि व्यापार में विकृति कम हो जाएगी और विकासशील देशों से उत्पादों के निर्यात की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ऐसा निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था से सबसे पहले उनके उत्पादों के लिए अधिक अच्छी कीमतों के माध्यम से कुशल उत्पादकों की सहायता करने की आशा की गई थी और बाद में कृषि कामगारों के निम्नतर वर्गों तक व्यापार के लाभ पहुंचने की भी आशा की गई थी। परंतु पिछला अनुभव और WTO के क्रियान्वयन का डेढ़ दशक दर्शाता है कि विकसित देशों में अत्यधिक विशाल मात्रा में साहाय्यी यंत्रीकृत कृषि ने विकासशील देशों की कृषि को विश्व बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अपालन द्वारा बढ़े हुए लाभ प्राप्त करने से विकासशील देशों के उत्पादक प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, AoA में विभिन्न बचाव के रास्तों ने विकसित देशों के लिए अपनी कृषि को भारी साहाय्य देने की गुंजाइश प्रदान की है। इस प्रकार यद्यपि AoA ने अंतर्राष्ट्रीय के नियमों की परिभाषा के अनुसार बहुत कुछ प्राप्त किया है, उसकी उपलब्धि बाजार खुलने/सुलभता के आधार पर सीमित रही है।

विभिन्न समितियों और मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों में विकसित देशों द्वारा की गई चर्चा, एजेण्डा, प्रस्ताव और तर्क प्रकट करते हैं कि यद्यपि विकसित देश (विशेषकर EU और US) {शुल्क कटौती, शुल्क दर कोट (TRO) में वृद्धि के माध्यम से} विकासशील देशों में अपने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार सुलभता के लिए सौदा करते हैं, वे अपने ही देशों में निर्यात साहाय्य के उन्मूलन और घरेलू सहायता की कटौती के बातचीत करने से बचते हैं। फलस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि कीमतें पर्याप्त रूप में मंदी है। ये भारत जैसे विकासशील देशों की व्यापार प्रतिस्पर्धा प्रभावित कर रही हैं।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भारत ने अपना QR समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, इनका कुल AMS बहुत से कृषि उत्पादों के लिए लगातार ऋणात्मक रहा है। भारत भी कटौती वचनबद्धता के लिए सूचीबद्ध कृषि उत्पादों को कोई निर्यात साहाय्य नहीं देता है। इस प्रकार यदि विकसित देश बचनबद्धता का अपना भाग का अनुपालन करते हैं तो यह विश्व बाजार में विकासशील देशों के उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाकर कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर करेगा। परंतु यदि विश्व बाजार में वृद्धि है तो यह उन अल्प विकसित देशों के कल्याण को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा जो खाद्यान्नों के निवल आयातकर्त्ता है। इसलिए व्यापार उदारीकरण के कारण विशिष्ट उत्पाद के मामले में देश को लाभ या हानि, इस पर निर्भर होगा कि क्या यह उस उत्पाद का निवल निर्यातक है या निवल आयातक। इन सभी के आधार पर भारत कृषि

उत्पादों का निवल निर्यातक है। इसलिए यदि व्यापार संबंधी सभी विकृतियाँ समाप्त की जाती हैं, भारत कृषि निर्यात के अपने शेयर में लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकेगा।

27.5.2 खाद्य और आजीविका सुरक्षाएं

विकसित देशों में 3 से 5 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। परंतु अधिकांश विकासशील देशों में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। व्यापार उदारीकरण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य कीमतों में कोई भी अस्थिरता कृषि उत्पादकों की आजीविका प्रस्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब किसान की खाद्य और आजीविका आवश्यकताओं की सुरक्षा करने के लिए विशेष सुरक्षणों की आवश्यकता है जिसके लिए मांग और आपूर्ति दोनों कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा न केवल खाद्य आपूर्तियों की उपलब्धता और स्थिरता को शामिल करती है बल्कि खाद्य के अपेक्षित मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों के अनुसार इसमें आपूर्ति की सुलभता के मुद्दों को भी शामिल करती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिन देशों में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है, उत्पादकता सुधारने, आय स्तरों का विस्तार करने, बाजार घट-बढ़ की संवेदनशीलता घटाने, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने आदि के प्रति अपनी घरेलू कृषि नीतियों के निर्धारण में कुछ न कुछ स्वायतत्ता और नम्यता रखना चाहेंगे। भारत अपने न्यायसंगत अव्यापारिक समस्याओं का अनुसरण करने के लिए विकासशील देशों के लिए AoA में अपेक्षित लचीलापन चाहता है। साधारणतया विकासशील देशों को न केवल खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए, बल्कि, उसके सहसंबंधों जैसे ग्रामीण रोजगार की व्यवहार्यता के लिए भी अपनी कृषि को घरेलू सहायता प्रदान करने की अनुमति की आवश्यकता है। यह तथ्य कि विकासशील देशों को अपने गरीब वर्ग की खाद्य और आजीविका सुरक्षाओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त संरक्षणों की आवश्यकता है, कृषि पर WTO बातचीत में भारत और अन्य देशों द्वारा प्रकाश में लाया गया है। इन सुरक्षणों ने इस तथ्य की दृष्टि से भी अधिक महत्त्व ग्रहण कर लिया है कि AoA विकसित देशों में कृषि साहाय्य को नियंत्रित करने में बहुत अकुशल रहा है।

27.5.3 सीमांत और छोटे किसान

नवीनतम कृषि गणना 2010-11 के अनुसार भारत में स्वकर्षित जोतों की संख्या 2010-11 में 138 मिलियन थी। 2001-11 की अवधि में स्वकर्षित जोतों की संख्या में **दशाब्दी** वृद्धि 22.5 प्रतिशत थी। छोटे किसानों की संख्या की तद्नुरूप वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी। इस वृद्धि/बढ़ोतरी के कारण इन दो खंडों का संयुक्त अंश 2001-2011 की अवधि के दस वर्षों के दौरान 82 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। अब सीमांत और छोटे किसान कुल स्वकर्षित क्षेत्रफल के 44 प्रतिशत और स्वकर्षित जोतों की संख्या के 85 प्रतिशत हैं। देश के किसानों के 85 प्रतिशत की आजीविका निर्वाह आवश्यकताएं भारत के लिए मुख्य विकास और नीति चुनौतियों में से एक है।

भारतीय कृषि अपनी छोटी जोतों के स्वरूप के कारण यांत्रिक खेती प्रारंभ करने में असमर्थ-सी रहती है और जब तक विशाल स्तर में विस्तार कार्यक्रम नहीं चलता है, नई प्रौद्योगिकी का अंगीकरण कठिन है। कृषि वृद्धि को धारणीय बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता आदानों, जैसे सिंचाई, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक, तकनीकी जानकारी, HYV बीज, आधार मूल संरचना विकास और बाजार समर्थन आदि बढ़ी हुई सरकारी सहायता है। बढ़े हुए आदान के वित्तीय भार का बड़ा भाग सरकारी साहाय्यों द्वारा पूरा करना होगा। इसलिए छोटे किसानों की आवश्यकताएं WTO वार्त्ताओं में यथाविधि हल की जानी चाहिएं क्योंकि ये किसान विकसित देशों के विशाल आकार की यांत्रिक खेती से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। बाजार सुलभता और संयुक्त राष्ट्र, जापान तथा अन्य विकसित देशों में दी गई निर्यात साहाय्य और घरेलू सहायता की कटौती के अभाव में (अन्य देशों द्वारा वचनबद्धता की पूर्ति के बिना) व्यापार उदारीकरण नीतियों का अनुसरण किया जाता है तो भारत जैसे देशों को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव भुगतने होंगे।

27.6 WTO वचनबद्धताओं के प्रति दृष्टिकोण

औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अत्यधिक व्यापार विकृतिकारी निर्यात और अपने किसानों को दिए गए घरेलू साहाय्यों की मौजूदगी में QRs की समाप्ति हमारी कृषि को अपने प्रतिकूल परिणाम दिखा चुकी है। इसलिए भारत को घटाये हुआ उपर्युक्त शुल्क कोटा के माध्यम से बढ़ी हुई बाजार सुलभता की प्राप्ति के लिए विकसित देशों की घरेलू सहायता और निर्यात साहाय्य में कटौती के लिए DDA के मंच पर प्रबलता से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि भारत में ऋणात्मक उत्पाद विशिष्ट AMS है, इसलिए हमें पर्याप्त रूप में लाभ हो सकता है यदि देशों द्वारा अपने कृषि उत्पादकों को सहायता की कटौती पर वचनबद्धता पूरी की जाती है। चूंकि भारत कृषि को किसी भी प्रकार की निर्यात साहाय्य नहीं देता है, इसलिए WTO में उसकी रणनीतिक युक्ति को घरेलू सहायता की कटौती और निर्यात साहाय्य के उन्मूलन पर दबाव डालना चाहिए। चूंकि भारत ने कृषि आयात पर QRs हटा दिया है, इसलिए कुछ कृषि उत्पादों जैसे मक्खन और पनीर पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इसके लिए, ऐसे मामलों में, अपेक्षाकृत रूप से उच्च आबद्ध शुल्क रखने से इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ को सहन किया जा सकता है। भारतीय समझौता बातचीत के वार्त्ताकारों को WTO सम्मेलनों और बैठकों में देश के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न WTO प्रावधानों के सभी विधिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर सकल रूप से विचार करना चाहिए। अल्प अवधि में देश को कृषि तथा पशुधन उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों को निर्यात करना चाहिए, वहाँ वैसे ही या न्यूनतर गुणवत्ता मानक लागू हैं। दीर्घकालिक रणनीति SPS और TBT प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कार्यदक्ष संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना होना चाहिए ताकि भविष्य में बाजार की विशाल संभावना का लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा, SPS उपायों का अनुपालन से घरेलू मानव, पशु और पादप स्वास्थ्य में भी सुधार होंगे जो भविष्य में देश को बड़ा लाभ प्रदान कर सकते हैं।

27.6.1 भावी मार्ग

आने वाले वर्षों में भारतीय और बहुत से अन्य विकासशील देशों की कृषि WTO विनियमों से लाभान्वित हो सकती है यदि AoA का अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाता है और व्यापार संबंधी विकृतियां हटाई जाती हैं। इस अवसर का उपयोग करने के लिए हमें भारत में दुहरी रणनीति अपनानी चाहिए। **एक** हमें विश्व बाजार में अपनी कृषि प्रतिस्पर्धा का विस्तार करना चाहिए जो मूलतः दो घटकों से बनी हुई है : (i) कीमत प्रतिस्पर्धा; और (ii) उत्पाद गुणवत्ता। भारत को औद्योगिक देशों में उत्पादन और निर्यात साहाय्यों की कटौती प्राप्त करने के लिए विभिन्न WTO मंचों में सहयोगी विकासशील देशों की सहायता जुटानी चाहिए। **दूसरा** उत्पाद की गुणवत्ता निर्यात के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्वों में से एक है। वर्तमान समय में उपभोक्ता गुणवत्ता सजग है और ऐसे उत्पादों की मांग करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और अहानिकार हैं। इसलिए SPS और TBT आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली नियामक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। खाद्य गुणवत्ता के विनियमन तथा निगरानी के लिए विद्यमान कानूनों को SPS और TBT के समरूप बनाने के लिए उन्हें समुचित ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए।

प्रतिस्पर्धा सुधारने के लिए अतिरिक्त उपाय

भारत के अधिकांश कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं हैं। इसलिए कृषि के निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं में विदेशी सहयोग प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि WTO के बाजार सुलभता प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त किए जा सकें। विदेशी सहयोग कृषि व्यापार में व्यावसायिकता बढ़ा सकता है क्योंकि बहुत कम भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी बाजारों में ब्रॉंड समानता प्राप्त है। राज्य सरकारें कृषि परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग के साथ निवेश की शर्तें अनुकूल बना सकती हैं। कृषि उत्पादों के विश्व बाजार में अधिक अस्थिरता से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक ह्रास भारतीय किसानों के लिए अनर्थकारी हो सकता है। देश में तिलहन उत्पादक इस किस्म की अस्थिरता के कारण समस्याओं का सामना कर चुके हैं। इसलिए इस किस्म के प्रतिघातों के प्रभावों से किसानों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ प्रारंभ की जानी चाहिएं।

बोध प्रश्न 4

नीचे दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

1) कारण बताइए, कि पिछले 15 वर्षों से WTO विनियमों के क्रियान्वयन के बावजूद क्यों विकासशील देश प्रत्याशित प्रतिलाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं?

.....

.....

.....

.....

2) क्या आप सोचते हैं यदि WTO विनियमों को निर्बाध और निष्पक्ष तरीके में लागू किया जाता है? भारत को कृषि व्यापार से लाभ होगा? क्यों?

.....

.....

.....

.....

3) विकासशील देशों में गरीब किसानों की आजीविका की आवश्यकताओं के संरक्षण के लिए क्या सुरक्षण आवश्यक है?

.....

.....

.....

.....

4) भारतीय कृषि के छोटी जोत आधारित स्वरूप में 2001-11 की अवधि में किस सीमा तक वृद्धि हुई है? भारतीय कृषि के इस लक्षण के प्रकाश में WTO बातचीतों में छोटे किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए क्या उपाय हैं?

.....

.....

.....

.....

5) अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभावों का निराकरण करने के लिए और WTO बातचीतों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है?

.....

.....

.....

.....

6) ''भावी मार्ग'' में अपनाई जाने वाली दोहरी रणनीति के क्या तत्व हैं जिनसे भारतीय कृषि को व्यापार उदारीकरण उपायों से लाभ प्राप्त हो सके?

.....

.....

.....

7) उन अतिरिक्त पहलों का उल्लेख कीजिए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि प्रतिस्पर्धा सुधारने के लिए भारत में राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

27.7 सारांश

कृषि राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील विषय है और इसलिए इस सेक्टर का उदारीकरण कठिन कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए विकसित और विकासशील दोनों विभिन्न पहलुओं पर अपनी कृषि के लिए किसी न किसी प्रकार का संरक्षण करना चाहेंगे। AoA का उद्देश्य निर्यात और उत्पादन साहाय्य घटाकर और गैर-शुल्क बाधाओं सहित आयात बाधाओं को हटाकर कृषि में विकृतियां समाप्त करना है। परंतु WTO विनियमों के क्रियान्वयन के डेढ़ दशक बाद भी कृषि में विश्व व्यापार अभी भी अत्यधिक विकृत है, इसका मुख्यकारण यह है कि विकसित देशों ने अपने कृषि उत्पादकों को दी गई सहायता घटाने की अपनी वचनबद्धता पूरी नहीं की है। चूंकि विकसित देशों के मामले में कटौती आवश्यकता विकासशील देशों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए सिद्धांत रूप से यह आशा की जाती है कि विकासशील देश विकसित देशों के बाजार में अपेक्षाकृत बेहतर सुलभता प्राप्त कर सकेंगे। परंतु इसके लिए विकासशील देशों द्वारा अपने उत्पादकों को SPS और TBT उपायों के अनुकूल बनाना आवश्यक है। AoA में बचाव के रास्तों को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों के लिए किसी न किसी रूप में उपायों को बहाल कर संरक्षण का उच्च स्तर बनाए रखने के विपुल अवसर है। इस प्रणाली को ''विकृत शुल्कीकरण'' के रूप में उल्लेख किया जाता है और विशेषकर राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील उत्पादों के लिए प्रयुक्त देखा जाता है। असंयोजित सहायता के लिए छूट दी गई है जो उन भुगतानों से संबंधित है जो चालू उत्पादन स्तरों, उत्पाद कीमतों, आदान प्रयोग या आदान कीमतों (ग्रीन बॉक्स उपाय) और उत्पादन सीमा के लिए सहायता (ब्लू बॉक्स सहायता) से संबद्ध नहीं है। घरेलू सहायता का असंयोजन WTO मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में सबसे अधिक विवादास्पद विषयों में से एक के रूप में उभरकर आया। एक ओर मूल्य समर्थन और आदान साहाय्य के बीच और ''ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स'' साहाय्य के बीच निर्मित कृत्रिम अंतर तथा कटौती वचनबद्धता से इस व्यवस्था को भारत जैसे विकासशील देशों के विरुद्ध अनुचित भेदभाव समझा गया है। विकसित देश विकासशील देशों के कृषि उत्पादों का अपनी सीमाओं के प्रवेश सीमित करने के लिए SPS और TBT का प्रयोग भी करते हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक सामान्यतया विकसित देशों में विद्यमान मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं, विकासशील देशों द्वारा इन उपायों का अनुपालन उनकी प्रतिस्पर्धा कम करते हुए उत्पादन लागत बढ़ाता है।

भारत कृषि लाभ प्राप्त करेगा यदि DDA प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है और भारत सिंचाई, यातायात, अनुसंधान और विस्तार में पर्याप्त निवेश करता है (जिन पर व्यय WTO की घरेलू सहायता कटौती वचनबद्धता से छूट प्राप्त है)। भारत के कुछ अल्प शुल्क बंधनों पर पुनः बातचीत की जा सकती है। उत्पाद विशिष्ट AMS के अंतर्गत मूल्य सहायता की गणना में ऋणात्मक AMS का समायोजन भी ठीक से नहीं किया गया है। खाद्य गुणवत्ता के विनियमन और निगरानी के लिए विद्यमान कानूनों को उन्हें SPS और TBT के समरूप बनाने के लिए समुचित रूप से संशोधित करना आवश्यक है। कृषि प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण न केवल हमारी निर्यात मार्केट संभावना बढ़ाएगा बल्कि घरेलू खाद्य गुणवत्ता सुधारने में भी सहायता करेगा।

27.8 शब्दावली

कृषि का बहु प्रकार्यता स्वरूप : इसका संबंध उन बहुत से कार्यों से है जिन्हें कृषि समाज के लिए करती है। खाद्य, चारा, ईंधन और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देने के अलावा कृषि सामाजिक-आर्थिक से पर्यावरणीय कार्यों तक भी करती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि ग्रामीण लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है और खाद्य के लिए भौतिक और आर्थिक सुलभता प्रदान करने का स्रोत है। दूसरी ओर, विकसित देशों में कृषि को पारितंत्र सेवाएं बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन सीमित कर मृदा उर्वरता तथा पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए भारी साहाय्य दी जाती है। इस प्रकार खाद्य रक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार मुख्य समस्याएं हैं जिनके लिए बहुत स्तरों पर नीतियां और निवेश की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए WTO बैठकों की बातचीत में कृषि की बहुप्रकार्यता को विकसित और विकासशील दोनों द्वारा अपनी कृषि का संरक्षण करने के लिए महत्त्वपूर्ण तर्क के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

शुल्क दर कोटा : यह कृषि उत्पादों के लिए ''न्यूनतम बजार सुलभता'' का अनुबंध करने के लिए प्रयुक्त माप है। इसके अधीन दो शुल्क दरें होंगी, निम्नतर शुल्क निर्धारित सीमा से कम आयातित मूल्य या मात्रा के लिए प्रयोज्य है और दूसरा उच्चतर दर शुल्क दर निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में आयातित के लिए प्रयुक्त होता है।

सहायता का कुल माप AMS : यह ज्ञात करने का सूचक है कि दी गई संचयी सहायता अनुमत्त सीमा के अंतर्गत है या नहीं। यह इस दृष्टि से उत्पाद विशिष्ट है कि AMS सूचक की प्रत्येक उत्पाद के लिए गणना अलग-अलग की जाती है। दो कीमतों, अर्थात् पण्यवस्तु की घरेलू कीमत और अंतर्राष्ट्रीय कीमत के बीच अंतर को देश में उस वर्ष के अंतर उस पण्यवस्तु की उत्पादन की मात्रा से गुणा कर AMS मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य (अर्थात् AMS मूल्य) ऋणात्मक है जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत से घरेलू कीमत कम होती है। इस मामले में दी गई सहायता की सीमा घटाने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाने आवश्यक है। जब मूल्य धनात्मक हो तो जब तक यह विकासशील देशों के लिए अनुमतीय निर्धारित से 10 प्रतिशत नीचे है, दी गई सहायता कम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, AMS मूल्य देश के प्रशासकों को संकेत देता है कि उनके किसानों को दी गई व्यापार विकृति सहायता की सीमा कम करने की दिशा में ली जाने वाली कोई सुधारक क्रियाविधि की आवश्यकता है या नहीं।

गैर उत्पाद विशिष्ट साहाय्यों की निम्नतम सीमा : कृषि क्षेत्र या कृषि उत्पादकों के WTO के ग्रीन, बल्यू तथा S&D प्रावधानों द्वारा अनुमत्त साहाय्यों के अतिरिक्त सभी साहाय्य कटौती प्रतिबद्धता के अंतर्गत आते हैं। किंतु यहां भी एक **न्यूनतम स्तर** निर्धारित है। उस स्तर से अधिक होने पर ही उन साहाय्यों में कटौती अनिवार्य होती है। इसी न्यूनतम स्तर को de minimis कहा गया है। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई साहाय्य व्यापार विकृति कर हो, किंतु जब तक उसका स्तर एक घोषित सीमा का (अनुमत्त सीमा का) अतिक्रमण नहीं करता, उस साहाय्य को कम करने पर आग्रह नहीं होगा। विकसित देशों में ऐसा साहाय्य किसी उत्पाद विशेष कुल उत्पादित मूल्य के 5 प्रतिशत तथा विकासशील देशों में 10 प्रतिशत से अधिक होने पर ही कटौती की वचनबद्धता प्रभावित होती है।

असंयोजित सहायता : इसका संबंध उस भुगतान से है जो उत्पादन सीमाओं (ब्लू बॉक्स सहायता) के अधीन चालू

उत्पादन स्तरों, उत्पाद कीमतों आदान प्रयोग या आदान कीमतों (ग्रीन बॉक्स पाप) सहायता उत्पादन सीमाओं में है।

SPS और TBT उपाय : इसका संबंध उन उपायों से है जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं (अर्थात् मनुष्य, पशु, पादप, पर्यावरण आदि) की स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुसार आयात करने के बाद देश के कल्याण का संरक्षण करना है।

27.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Chand Ramesh (2002), *Trade Liberalization, WTO and Indian Agriculture,* Mittal Publications, New Delhi.

2) Chakraborthy Debashis (2004), Recent Negotiations and Trend on Agriculture under WTO, RGICS working Paper No. 47, 2004, Rajai Gandhi Institute for Contemporary Studies.

3) Deodhar, S.Y. (1999), WTO Agreement and Indian Agriculture : Retrospection and Prospects, IIMA Working paper #99-11-06, Indian Institute of Management, Ahmedabad.

4) Dhar Biswajit. Agriculture and the WTO: An Indian Perspective http://wbwto.iift.ac.in/Downloads/WSII/WTO%20and%20Indian%20Agriculture.pdf

5) Kumar Rajiv and Swapna Nair (2009), *India :Strategies at the Doha Development Agenda—July and Beyond,* Working Paper, Indian Council for Research on Internatinal Economic Relations, New Delhi.

6) Martin Will and Kym Anderson (2008), 'Agricltural Trade Reform Under the Doha Agenda: Some Key Issues', *The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,* Vol. 52, pp 1-16.

7) Some useful links:

WTO, Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Geneva, World Trade Organisation.

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf

WTO, Agreement on Technical Barrier to Trade. Geneva, World Trade Organisation.

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

WTO, Agreement on Agriculture, Geneva, World Trade Organisation

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

27.10 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

1) देखिए भाग 20.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 27.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 27.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 27.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए भाग 27.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 27.2.1 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए भाग 27.2. और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 27.2.2 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 27.2.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 27.2.2 और उत्तर दीजिए। विकसित देशों के लिए कृषि उत्पाद के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत और विकासशील देशों के लिए 10 प्रतिशत।

5) देखिए उपभाग 27.2.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 27.2.2 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 27.2.3 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 27.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।

6. देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।
7. देखिए उपभाग 27.3.1 और उत्तर दीजिए।
8. देखिए उपभाग 27.3.2 और उत्तर दीजिए।
9. देखिए भाग 27.4 और उत्तर दीजिए।
10. देखिए भाग 27.4 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 4

1. देखिए उपभाग 27.5.1 और उत्तर दीजिए।
2. देखिए उपभाग 27.5.1 और उत्तर दीजिए।
3. देखिए उपभाग 27.5.2 और उत्तर दीजिए।
4. देखिए उपभाग 27.5.3 और उत्तर दीजिए।
5. देखिए भाग 27.6 और उत्तर दीजिए।
6. देखिए उपभाग 27.6.1 और उत्तर दीजिए।
7. देखिए उपभाग 27.6.1 और उत्तर दीजिए।